नम्बर मुकदमा 54 / 2020
रतन लाल बनाम इन्द्रा देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

उनवान :– विविध प्रकरण संख्या 54 / 2020

1. रतनलाल पुत्र माता शान्ति पिता महीराम जाति नायक निवासी चक 8 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. मीरा पुत्री माता शान्ति पिता महीराम पत्नी शंकर राम जाति नायक निवासी कीकासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
3. बिन्द्री देवी पुत्री माता शान्ति पिता महीराम पत्नी कृष्णलाल जाति नायक निवासी 29 बी. बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. पार्वती पुत्री माता शान्ति पिता महीराम पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी सुरेशवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) ।

– – **प्रार्थीगण**

बनाम

1. इन्द्रा देवी पुत्री बीरबल
2. कमला देवी पुत्री मलूराम पत्नी नाम नामालूम
3. डूंगरराम पुत्र छोटू राम
4. पृथ्वीराम पुत्र बीरबल
5. पारी पुत्री मलुराम
6. भूपराम पुत्र बीरबल
7. भागीरथ पुत्र मलूराम
8. मेघाराम पुत्र मलूराम

(क्रम 1 से 8) } जाति नायक निवासी गणेशगढ तह. व जिला श्रीगंगानगर

9. मन्नी देवी पत्नी बीरबल राम
10. राधेश्याम पत्र बीरबल
11. लखेसरी पुत्री मलूराम
12. सावित्री पुत्री मलूराम
13. सोहनलाल पुत्र मलूराम

(क्रम 9 से 13) } अकवाम नायक निवासीयान गणेशगढ तह व जिला श्रीगंगानगर

14. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर ।

— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. क[illegible]नियम

–:: उपस्थित [illegible] ::–

1. श्री विक्रम विश्नोई अधिवक्ता [illegible]ण
2. श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता – – अप्रार्थी [illegible] ता 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

–:: आदेश ::–

दिनांक :–18.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवानी वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया जा चुका है जिसके सफल होने की प्रबल सम्भावना है। वाद पत्र मे दर्ज तथ्यो को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों के रूप मे पढ़ा जावे। वादीगण के नाना चान्दा राम पुत्र सरदारा राम थे। सरदारा राम के तीन पुत्र अजनाम गणेशाराम, गंगाराम व चान्दाराम थे। चान्दा राम की पत्नी ऊमी थी और पुत्री शान्ति थी, चान्दाराम के पुत्र सन्तान नहीं थी। चान्दाराम के भाई गणेशाराम के चार पुत्र अजनाम बीरबल, लालचन्द, पतराम व मलूराम थे, चान्दाराम के पुत्र न होने से चान्दाराम ने अपने भाई गणेशाराम के पुत्र मलूराम को गोद ले लिया था। इस प्रकार चान्दाराम के एक पुत्री शान्ति व एक दतक पुत्र मलूराम था। सरदाराराम का परिवार पाकिस्तान से आया हुआ था और भारत मे सरदाराराम के पुत्र चान्दाराम के परिवार को नॉन क्लेमेन्ट के रूप मे 1 मुरब्बा वादग्रस्त भूमि चक 28 एल एन पी सैकिण्ड के मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 1 ता 25 की 5.756 हैक्टयर मय खाला भूमि अलॉट हुई थी। उक्त भूमि चान्दाराम के दतक पुत्र मलूराम, पत्नी ऊमी, पुत्री शान्ति व भतीजा बीरबल को बहिस्सा बराबर आवंटित हुई थी और परिवार के सदस्यों का विवरण बेसिक रजिस्टर मे दर्ज है परन्तु बेसिक रजिस्टर मे नाम के आगे रिलेशनशिप व आयु गलत दर्ज हो गई है ऊमी मलूराम की पत्नी न होकर माता है व चान्दा राम की पत्नी है। शान्ति मलूराम की पुत्री न होकर बहिन है व चान्दाराम की पुत्री है, बीरबल, मलूराम का भाई है व चान्दाराम का भतीजा है। बेसिक रजिस्टर मे दर्ज रिलेशनशिप चान्दाराम के रिश्ते के अनुसार सही है व मलूराम के हिसाब से भ्रान्तिपूर्ण है व मलूराम की रिलेशनशिप के आधार पर दर्ज नही की गई है। बेसिक रजिस्टर की फोटो प्रति व जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है । मलूराम की ऊमी नाम से कोई पत्नी नहीं है और मलूराम के शान्ति नाम से कोई पुत्री नहीं है। जवकि चान्दाराम की पत्नी ऊमी है व पुत्री शान्ति है। मलूराम की पत्नी का नाम धापा देवी है व मलूराम के पुत्र/पुत्रीयो/पत्नी के नाम का विवरण मलूराम के वारिसानामा मे दर्ज है। मलूराम का वारिसनामा जो मलूराम के वारिसान द्वारा ग्राम पंचायत गणेशगढ़ से जारी करवाया गया है वह संलग्न वाद पत्र है मलूराम की पत्नी धापा देवी व मलूराम का सन् 1958, 1966, 1971 मे वोट बना हुआ है। इन वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। वादग्रस्त भूमि जो गैरखातेदारी थी की सनद भी बेसिक रजिस्टर के आधार पर जारी कर दी गई और [illegible] अमल दरामद कर दिया गया। मलूराम की देहान्त होने प[illegible] वारिसान ने ग्राम पंचायत गणेशगढ़ मे मल[illegible] सत्य की अंकित करते हुए शपथ प[illegible] वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाया। इ[illegible] शान्ति नाम की कोई पुत्री नहीं है व मलूराम रजिस्टर मे नाम के [illegible] रिलेशनशिप व आयु गलत दर्ज हो गई है ऊमी मलूराम की पत्नी न हो[illegible] माता है व चान्दा राम की पत्नी है। शान्ति मलूराम की पुत्री न होकर बहिन है व चान्दाराम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पुत्री है, बीरबल, मलूराम का भाई है व चान्दाराम का भतीजा है। बेसिक रजिस्टर मे दर्ज रिलेशनशिप चान्दाराम के रिश्ते के अनुसार सही है व मलूराम के हिसाब से भ्रान्तिपूर्ण है व मलूराम की रिलेशनशिप के आधार पर दर्ज नही की गई है। बेसिक रजिस्टर की फोटो प्रति व जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। मलूराम की ऊमी नाम से कोई पत्नी नही है और मलूराम के शान्ति नाम से कोई पुत्री नही है। जबकि चान्दाराम की पत्नी ऊमी है व पुत्री शान्ति है। मलूराम की पत्नी का नामा धापा देवी है व मलूराम के पुत्र/पुत्रीयो/पत्नी के नाम का विवरण मलूराम के वारिसानामा मे दर्ज है। मलूराम का वारिसनामा जो मलूराम के वारिसान द्वारा ग्राम पंचायत गणेशगढ़ से जारी करवाया गया है वह संलग्न वाद पत्र है मलूराम की पत्नी धापा देवी व मलूराम का सन् 1958, 1966, 1971 मे वोट बना हुआ है। इन वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। वादग्रस्त भूमि जो गैरखातेदारी थी की सनद भी बेसिक रजिस्टर के आधार पर जारी कर दी गई और सनद का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया गया। मलूराम का देहान्त होने पर मलूराम के वारिसान ने ग्राम पंचायत गणेशगढ़ मे मलूराम पुत्र चान्दाराम व धापा पत्नी मलूराम मृत्यु की अंकित करते हुए शपथ पत्र पेश कर वारिसान का नाम दर्ज कर वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाया। इस वारिस प्रमाण पत्र मे मलूराम की शान्ति नाम की कोई पुत्री नही है व मलूराम की पत्नी का नाम धापा देवी है और मलूराम के वारिसनामा के आधार मलूराम के हिस्से का विरास्तन इंतकाल मलूराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, 5, 7, 11, 12, 13 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया है। ऊमी पत्नी चान्दाराम की मृत्यु हो चुकी है । शान्ति पुत्री चान्दाराम की शादी महीराम पुत्र श्री कालू राम के साथ हुई और शान्ति और महीराम के वादीगण के रूप मे चार सन्तान हुई है। शान्ति की मृत्यु दिनांक 03–06–2019 को गांव 30 बी बी तहसील पदमपुर में हो चुकी है । शान्ति के वादीगण विधिक वारिसान है शान्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र मे पिता का नाम चान्दाराम व माता का नाम ऊमी दर्ज है और शान्ति के नाम से जमाबन्दी मे दर्ज भूमि शान्ति पुत्री मलूराम को दुरूस्त कर शान्ति पुत्री चान्दाराम किया जाना आवश्यक है तथा ऊमी पत्नी मलूराम का नाम दुरूस्त कर ऊमी पत्नी चान्दाराम दर्ज किया जाना आवश्यक है। शान्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा व मलूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है.। वादीगण कम पढ़े–लिखे काश्तकार पेशा व शान्तिप्रिय व्यक्ति है। प्रतिवादीगण होशियार व चालाक आदमी है। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मे काश्त करने मे वादीगण को आये दिन परेशानी पैदा करते है। ऐसी सूरत मे वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई दख्लांदाजी पैदा ना करे व ऊमी व शान्ति के हिस्से की भूमि मे कोई परिवर्तन ना करे। रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे । प्रथम दृष्टया केस, सुविधा [illegible] आर. टी. वादीगण के पक्ष मे साबित है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत [illegible] विरूद्ध ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी [illegible] कि अनावेद[illegible] 44/57 के 28 एल एन पी सैकिण्ड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या [illegible] भूमि कोई मुरब्बा नं. 4 की 5.756 हैक्टयर भूमि में शान्ति व ऊमी के ना[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

परिवर्तन करने से निषेध रहे व उक्त भूमि के किसी भू–भाग को रहन बेय करने से निषेध रहे। रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के तथ्य स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है। वाद मिथ्या व मनगढ़त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जिसके स्वीकार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित चान्दाराम का वादीगण के नाना होने के तथ्य अस्वीकार है। यह तथ्य अस्वीकार है कि चान्दाराम पुत्री शान्ति है, शान्ति मलूराम की पुत्री थी ना कि चान्दाराम की। शान्ति पुत्री मलूराम सन् 1963 मे अविवाहित ही फौत हो चुकी थी। यह तथ्य स्वीकार है कि चान्दाराम की कोई सन्तान नहीं थी और मलूराम चान्दाराम का दत्तक पुत्र है और यह तथ्य अस्वीकार है कि चान्दाराम की एक पुत्री भागीरथ शान्ति हो, शान्ति मलूराम की पुत्री थी जो सन् 1963 मे अविवाहित ही फौत हो चुकी है। शान्ति चान्दा की पुत्री नहीं थी । मलूराम चान्दाराम का एक मात्र दतक पुत्र था। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य असत्य व निराधार होने के कारण अस्वीकार है यह तथ्य अस्वीकार है कि सरदारा राम के परिवार का पाकिस्तान से आना व सरदारा राम के पुत्र चान्दा राम के परिवार को नॉन–क्लेमेन्ट के रूप में वादग्रस्त भूमि चक 28 एल एन पी सैकिण्ड के मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 5.756 हैक्टयर भूमि मय खाला अलॉट हुई हो। उक्त भूमि चान्दाराम के दतक पुत्र मलूराम, मलूराम पत्नि ऊमी, मलूराम पुत्री शान्ति व भाई वीरवल राम को बहिस्सा बराबर आवंटित हुई हो। यह तथ्य अस्वीकार है कि वैसिक रजिस्टर मे नाम के आगे रिलेशनशिप व आयु गलत दर्ज किया हो। यह तथ्य भी अस्वीकार है कि ऊमी मलूराम की पत्नि न होकर माता है और चान्दा राम की पत्नि है। यह तथ्य भी अस्वीकार है कि शान्ति मलूराम की पुत्री न होकर वहिन व चान्दाराम की पुत्री है। वीरवल का मलूराम का भाई होने के तथ्य स्वीकार है। यह तथ्य अस्वीकार है कि बैसिक रजिस्टर मे दर्ज रिलेशनशिप चान्दाराम के रिश्ते के अनुसार सही है व मलूराम के हिसाब से भ्रान्तिपूर्ण है व मलूराम की रिलेशनशिप के आधार पर दर्ज नहीं की गयी है पैरा संख्या 4 मे वादीगण द्वारा भूमि हड़पने के लिए गलत तथ्य दर्ज किये गये है। वरवक्त अलॉटमेन्ट कमेटी अर्थात् पुर्नवास विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पूर्ण जांच कर भूमि आवंटन की गयी है। वाद मे वर्णित भूमि चक 28 एलएनपी सैकिण्ड के मु.नं. 4 के कि.नं. 1 ता 25 मलूराम पुत्र श्री चान्दाराम निवासी गणेशगढ़ के नाम से आवंटन की गयी थी और आवंटन मे परिवार के सदस्य मलूराम स्वयं, ऊमी पनि, शान्ति लड़की और बीरवल भाई अंकित है। इसके आधार पर परिवार के सदस्यों का नाम बैसिक रजिस्टर मे दर्ज है और इसी के आधार पर इस रकबा की सनद दिनांक 15–03–2013 को जारी हुई और सनद के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे भूमि दर्ज की गई। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 मे वर्णित तथ्य असत्य वा निराधार होने के कारण अस्वीकार है। यह तथ्य अस्वीकार है कि मलूराम की उमी नाम की कोई पत्नि वा शान्ति नाम की पुत्री नहीं है। यह तथ्य अस्वीकार है कि चान्दा राम पत्नि उमी व शान्ति पुत्री है। यह सही [illegible] है। मलूराम के पुत्र, पुत्रीयों का नाम मलूराम के वारि[illegible] है। उमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

M-4550
79767-91236

और धापा देवी एक ही औरत का नाम है। मलूराम की शादी के वक्त मलूराम की पत्नि का नाम उमी व मलूराम की माता का नाम उमी था। सास–बहू का एक नाम होने के कारण बाद मे मलूराम की पत्नि का नाम बदलकर उमी की जगह धापा रखा गया और वारिसनामा मे शान्ति का नाम इस कारण दर्ज नही किया गया क्योंकि शान्ति पुत्री मलूराम अविवाहित फौत हो चुकी थी उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान हिन्दु उत्तराधिकार के बाद उसके अधिनियम के अनुसार उसके माता–पिता है और माता–पिता की मृत्यु वारिसान प्रतिवादीगण (कमला, पारी, भागीरथ, मेघाराम, लखेसरी, सावित्री, सोहनलाल) है। इस कारण शान्ति का नाम ग्राम पंचायत गणेशगढ़ द्वारा जारी वारिसनामा मे दर्ज नहीं करवाया गया। अलॉटमेन्ट के वक्त मलूराम की पत्नि का नाम ऊमी था जो बाद मे परिवार के सदस्यों द्वारा उसका नाम बदलकर धापा देवी रख दिया ऊमी और धापा देवी एक ही औरत का नाम है जो मलूराम की पत्नि है। शान्ति मलूराम की पुत्री है जिसकी मृत्यु सन् 1963 मे हो चुकी है। ऊमी चान्दाराम की पत्नि नहीं है ना ही शान्ति चान्दाराम की पुत्री है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 मे वर्णित तथ्य अलॉटमेन्ट भूमि की सनद व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने के तथ्य स्वीकार है। मलूराम की पत्नि का नाम धापा देवी है। मलूराम के पुत्र, पुत्रीयों का नाम मलूराम के वारिसनामा मे दर्ज है। उमी और धापा देवी एक ही औरत का नाम है। मलूराम की शादी के वक्त मलूराम की पत्नि का नाम उमी व मलूराम की माता का नाम उमी था। सास–बहू का एक नाम होने के कारण बाद मे मलूराम की पत्नि का नाम बदलकर उमी की जगह धापा रखा गया और वारिसनामा मे शान्ति का नाम इस कारण दर्ज नहीं किया गया क्योंकि शान्ति पुत्री मलूराम अविवाहित फौत हो चुकी थी उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके माता–पिता है और माता–पिता की मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण (कमला, पारी, भागीरथ, मेघाराम, लखेसरी, सावित्री, सोहनलाल) है। इस कारण शान्ति का नाम ग्राम पंचायत गणेशगढ़ द्वारा जारी वारिसनामा मे दर्ज नहीं करवाया गया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 मे वर्णित तथ्य असत्य व निराधार होने के कारण अस्वीकार है। यह तथ्य स्वीकार है कि उमी पनि चान्दाराम की मृत्यु हो चुकी है। शान्ति चान्दा राम की पुत्री नहीं है इसलिए शान्ति पुत्री चान्दा राम की शादी महीराम पुत्र श्री कालूराम के साथ होने के तथ्य स्वतः ही अस्वीकार हो जाते हैं। वाद मे वर्णित शान्ति का महीराम से शादी होना व शान्ति की मृत्यु दिनांक 03–06–2019 को होना व शान्ति के वादीगण विधिक वारिसान होना, शान्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र मे पिता का नाम चान्दाराम व माता का नाम उमी दर्ज है। यह मृत्यु प्रमाण पत्र भूमि हड़पने के लिए वादीगण द्वारा फर्जी बनाया गया है जबकि चान्दा राम की शान्ति नाम की कोई पुत्री नहीं थी। इस कारण शान्ति के नाम से जमाबन्दी में दर्ज भूमि शान्ति पुत्री मलूराम को दुरूस्त कर शान्ति पुत्री [illegible] ना ही कानून सम्मत है तथा उमी पत्नि मलूराम का [illegible] र उमी पत्नि चान्दाराम किया जाना आवश्यक [illegible] पूर्व मे यह भूमि पूर्ण जांच कर सन् [illegible] मलूराम पुत्र चान्दाराम व उसकी पत्नि [illegible] धीरवल के नाम से अलॉट की गयी उसी के आधार पर सनद जारी की [illegible] और उसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अलॉटीयों के नाम से इन्द्राज हुआ। सन्

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

1954 से लेकर दिनांक 30–06–2020 से पूर्व इस अलॉटमेन्ट को किसी भी व्यक्ति द्वारा चैलेंज नहीं किया गया अगर अलॉटमेन्ट मे परिवार के सदस्यों का नाम या किसी तरह से गलत अलॉटमेन्ट होता तो मलूराम के पिता, भाई व बाद में कथित शान्ति द्वारा अपने जीवनकाल मे ऐतराज (चैंलेज) किया जाता मगर किसी भी सदस्य द्वारा ऐसा नहीं किया गया है और वादीगण द्वारा भूमि हड़पने की नियत से वाद मे गलत तथ्य व फर्जी दस्तावेज तैयार (शान्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र) पेश कर यह वाद पेश किया गया है जो स्वीकार्य नहीं है। अलॉटमेन्ट मे अंकित शान्ति पुत्री मलूराम का सन् 1963 मे अविवाहित अवस्था मे देहान्त हो चुका है। वादीगण अलॉटमेन्ट मे अंकित शान्ति के ना पुत्र, पुत्रीयां है ना ही उसके वारिस है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 मे वर्णित तथ्य अस्वीकार है। वाद मे वर्णित भूमि मे वादीगण का न तो कोई हिस्सा है ना ही कब्जा काश्त है। ऐसी सूरत मे वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 मे वर्णित तथ्य असत्य व निराधार होने के कारण अस्वीकार है न तो प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस बनना पाया जाता है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में है और प्रार्थीगण को किसी तरह की कोई अपूर्णीय क्षतिपूर्ती नहीं हो रही है क्योंकि न तो प्रार्थीगण का इस भूमि मे कोई हक व हिस्सा है और ना ही कब्जा है। अन्य वजूहातः– भारत–पाक विभाजन के बाद मलूराम के परिवार को पुर्नवास विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा चक 28 एल एन पी के मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 1 ता 25 बतौर नॉन क्लेमेन्ट भूमि आवंटन हुई। आवंटन मे मलूराम के परिवार के सदस्यों का नाम इस प्रकार अंकित किया गया। मलूराम स्वयं उमी पत्नि, शान्ति पुत्री व बीरबल भाई यही नाम बैसिक रजिस्टर मे अंकित किये गये और इन्ही नामो से दिनांक 15–03–2013 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा सनद जारी की गई और राजस्व रिकार्ड मे सनद के आधार पर इन्द्राज किया गया और मलूराम, उमी, शान्ति व बीरबल की मृत्यु के बाद उनके वारिसो के नाम से राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया गया। वर्तमान समय मे वाद मे वर्णित आराजी पर मलूराम व बीरबल राम के वारिसो का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादीगण द्वारा शान्ति पुत्री चान्दाराम व पुत्री उमी का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र भूमि हड़पने के लिए फर्जी तैयार किया है। भूमि आवंटन आदेश व बैसिक रजिस्टर में वर्णित शान्ति पुत्री मलूराम का सन् 1963 मे अविवाहित अवस्था मे देहान्त हो चुका था वाद मे वर्णित शान्ति का इस भूमि मे कोई हक व हिस्सा नहीं है और ना ही शान्ति मूलराम की पुत्री है ना ही बहिन है। इस कारण वादीगण का हम प्रतिवादीगण से कोई रिश्ता–नाता नहीं है। ना ही इस आराजी मे वादीगण का कोई हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण का इस भूमि मे कोई हक, हिस्सा व कब्जा नहीं है। इस कारण वादीगण यह वाद लाने के कानूनन अधिकारी नहीं है ना ही वाद चलने के काबिल है। जिन तथ्यो का उत्तर देने से रह गया है उन तथ्यो का उत्तर नकारात्मक [illegible] मे चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है [illegible] प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके [illegible] धारा 212 आर. टी. ए. सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि सरदाराराम का परिवार पाकिस्तान से आया [illegible] था और भारत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मे सरदाराराम के पुत्र चान्दाराम के परिवार को नॉन क्लेमेन्ट के रूप मे 1 मुरब्बा वादग्रस्त भूमि चक 28 एल एन पी सैकिण्ड के मुरब्बा नं. 4 के किला नं. 1 ता 25 की 5.756 हैक्टयर मय खाला भूमि अलॉट हुई थी। उक्त भूमि चान्दाराम के दतक पुत्र मलूराम, पत्नी ऊमी, पुत्री शान्ति व भतीजा बीरबल को वहिस्सा बराबर आवंटित हुई थी और परिवार के सदस्यों का विवरण बेसिक रजिस्टर मे दर्ज है परन्तु बेसिक रजिस्टर मे नाम के आगे रिलेशनशिप व आयु गलत दर्ज हो गई है ऊमी मलूराम की पत्नी न होकर माता है व चान्दा राम की पत्नी है। शान्ति मलूराम की पुत्री न होकर बहिन है व चान्दाराम की पुत्री है, बीरबल, मलूराम का भाई है व चान्दाराम का भतीजा है। बेसिक रजिस्टर मे दर्ज रिलेशनशिप चान्दाराम के रिश्ते के अनुसार सही है व मलूराम के हिसाब से भ्रान्तिपूर्ण है व मलूराम की रिलेशनशिप के आधार पर दर्ज नही की गई है। मलूराम की पत्नी का नाम धापा देवी है व मलूराम के पुत्र/पुत्रीयो/पत्नी के नाम का विवरण मलूराम के वारिसानामा मे दर्ज है। मलूराम का वारिसनामा जो मलूराम के वारिसान द्वारा ग्राम पंचायत गणेशगढ़ से जारी करवाया गया है वह संलग्न वाद पत्र है मलूराम का देहान्त होने पर मलूराम के वारिसान ने ग्राम पंचायत गणेशगढ़ मे मलूराम पुत्र चान्दाराम व धापा पत्नी मलूराम मृत्यु की अंकित करते हुए शपथ पत्र पेश कर वारिसान का नाम दर्ज कर वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाया। इस वारिस प्रमाण पत्र मे मलूराम की शान्ति नाम की कोई पुत्री नहीं है व मलूराम रजिस्टर मे नाम के आगे रिलेशनशिप व आयु गलत दर्ज हो गई है ऊमी मलूराम की पत्नी न होकर माता है व चान्दा राम की पत्नी है। शान्ति मलूराम की पुत्री न होकर बहिन है व चान्दाराम की पुत्री है, बीरबल, मलूराम का भाई है व चान्दाराम का भतीजा है। बेसिक रजिस्टर मे दर्ज रिलेशनशिप चान्दाराम के रिश्ते के अनुसार सही है व मलूराम के हिसाब से भ्रान्तिपूर्ण है व मलूराम की रिलेशनशिप के आधार पर दर्ज नहीं की गई है। मलूराम का वारिसनामा जो मलूराम के वारिसान द्वारा ग्राम पंचायत गणेशगढ़ से जारी करवाया गया है वह संलग्न वाद पत्र है मलूराम की पत्नी धापा देवी व मलूराम का सन् 1958, 1966, 1971 मे वोट बना हुआ है। वादग्रस्त भूमि जो गैरखातेदारी थी की सनद भी बेसिक रजिस्टर के आधार पर जारी कर दी गई और सनद का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया गया। शान्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा व मलूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है। अतः प्रकरण में अन्तरिम स्थगन को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। **वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि** चान्दाराम की कोई सन्तान नहीं थी और मलूराम चान्दाराम का दत्तक पुत्र है और यह तथ्य अस्वीकार है कि चान्दाराम की एक पुत्री शान्ति हो, शान्ति मलूराम की पुत्री थी जो सन् 1963 में अविवाहित ही फौत हो चुकी है। शान्ति चान्दा की पुत्री नहीं थी। मलूराम चान्दाराम का एक मात्र दतक पुत्र था। चान्दाराम के दतक पुत्र मलूराम, मलूराम पत्नि ऊमी, मलूराम पुत्री शान्ति व भाई बीरबल राम को [illegible] आवंटित हुई हो। शान्ति मलूराम की पुत्री [illegible] बहिन [illegible] पुत्री है। बैसिक रजिस्टर मे दर्ज रिलेशनशि[illegible] सही है व मलूराम के हिसाब से भ्रान्तिपूर्ण है व मलूराम [illegible] के आधार पर दर्ज नहीं की गयी है पैरा संख्या 4 मे वादीगण द्वारा भू[illegible]ड़पने के लिए गलत तथ्य दर्ज किये गये है। बरवक्त अलॉटमेन्ट कमेटी अर्थात् पुर्नवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पूर्ण जांच कर भूमि आवंटन की गयी है। सन् 1954 से लेकर दिनांक 30–06–2020 से पूर्व इस अलॉटमेन्ट को किसी भी व्यक्ति द्वारा चैलेंज नहीं किया गया अगर अलॉटमेन्ट मे परिवार के सदस्यों का नाम या किसी तरह से गलत अलॉटमेन्ट होता तो मलूराम के पिता, भाई व वाद में कथित शान्ति द्वारा अपने जीवनकाल मे ऐतराज (चैंलेज) किया जाता मलूराम स्वयं उगी पत्नि, शान्ति पुत्री व बीरबल भाई यही नाम बैसिक रजिस्टर में अंकित किये गये और इन्ही नामो से दिनांक 15–03–2013 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा सनद जारी की गई और राजस्व रिकार्ड मे सनद के आधार पर इन्द्राज किया गया और मलूराम, उमी, शान्ति व बीरबल की मृत्यु के बाद उनके वारिसो के नाम से राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया गया। वादीगण द्वारा शान्ति पुत्री चान्दाराम व पुत्री उमी का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र भूमि हड़पने के लिए फर्जी तैयार किया है। भूमि आवंटन आदेश व बैसिक रजिस्टर में वर्णित शान्ति पुत्री मलूराम का सन् 1963 मे अविवाहित अवस्था मे देहान्त हो चुका था वाद मे वर्णित शान्ति का इस भूमि मे कोई हक व हिस्सा नहीं है और ना ही शान्ति मूलराम की पुत्री है ना ही बहिन है। इस कारण वादीगण का हम प्रतिवादीगण से कोई रिश्ता–नाता नहीं है। ना ही इस आराजी मे वादीगण का कोई हक व हिस्सा है। प्रार्थीगण का इस भूमि मे कोई हक, हिस्सा व कब्जा नहीं है। इस कारण वादीगण यह वाद लाने के कानूनन अधिकारी नहीं है ना ही वाद चलने के काबिल है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. सव्यय खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त – Citation: 2024(1) DNJ (Rev.) 125], Citation: 2023(1) DNJ (Rev.) 601], Citation: 2013 DNJ (Rev.) 18], RRD Nov. 2003 pg. 540, RRD 2011 pg. 563, RRD Nov. 2003 pg. 533 पेश किये गये।

बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी चक 28 एलएनपी सेकेण्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य उक्त जमाबंदी के खाता संख्या 44/57 में खातेदार सान्ती पुत्री मलूराम हिस्सा 1/4 जाति नायक सा. गणेशगढ खातेदार के हिस्सा का विवाद है। अन्य रिकॉडेर्ड खातेदारो के विरूद्ध लम्बे समय तक निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए, सम्पत्ति की संरक्षा के लिए एवम् वाद के न्यायनिर्णन हेतु प्रकरण में जमाबंदी के खाता संख्या 44/57 में खातेदार सान्ती पुत्री मलूराम हिस्सा 1/4 तक ही निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 02.07.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए चक 28 एलएनपी सेकेण्ड के खाता संख्या 44/57 में दर्ज खातेदार सान्ती पुत्री मलूराम के 1/4 हिस्सा के रिकॉर्ड की यथास्थिति उभयपक्ष मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक बनाये रखे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद [illegible] दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिंनाक 18.09.2025 को लिखवाया [illegible] सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner